



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102021-230433
CG-DL-E-16102021-230433

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3906]
No. 3906]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 14, 2021/ आश्विन 22, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ ASVINA 22, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4253(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 3783 दिनांक 01.12.2020 का.आ. 4294(अ) दिनांक 26.11.2020 भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) में किया गया है। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट गुजरात राज्य की तहसील- सावली, की भूमि में गुजरात राज्य में कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) तक पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन के लिए आई.एच.बी. लि. द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे "कांडला गोरखपुर एल.पी.जी. परियोजना" के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी :

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता को तारीख 10/02/2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विविर्दिष्ट भूमि में पाईपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी. लि. में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी.लि. पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची				
तालुका-सावली	जिला- वडोदरा	राज्य- गुजरात		
गांव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पोइचा	500/34	00	06	70
	81	00	16	70
	500/33	00	19	86
	94	00	13	17
	93	00	02	60
	96	00	03	43
	97	00	12	21
	99	00	09	18
	98	00	01	17
	104	00	07	99
	103	00	00	01
	105	00	05	56
	106	00	14	14
	107	00	05	21
	108	00	23	48
	25	00	16	32
	156	00	06	86
	157	00	07	29
	158	00	00	13
	160	00	13	21
	161	00	07	32
	167	00	12	78
	179	00	11	96

	177	00	10	12
	176	00	07	69
	175	00	12	25
	173	00	05	62
	262	00	04	62
	261	00	12	27
	284	00	15	72
	285	00	15	78
	342	00	15	41
	345	00	10	87
	344	00	04	93
	364	00	00	03
	365	00	15	06
	366	00	13	73
	409	00	26	11
	425	00	07	59
	426	00	08	57
	427	00	09	87

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-I/ई-32563]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th October, 2021

S.O. 4253(E).—Whereas by the notification of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette No. 3783 date : 01/12/2020 S.O No. 4294(E) date 26/11/2020 part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user In the land situated in Tehsil - Savli District - Vadodara in Gujarat State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum Product from Kandla in the State Gujarat to Gorakhpur in the State Uttar Pradesh by the IHB Limited for implementing the “Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline Project”

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 10/02/2021.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to Central Government.

And whereas, the central Government after Considering the report and on being satisfied that The said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting

in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in IHB Limited, free from all encumbrances .

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE				
TALUKA- SAVLI	DISTRICT-VADODARA	STATE-GUJARAT		
Name of Village (1)	Survey No. (2)	Area		
		Hectare (3)	Are (4)	Sqm. (5)
Poicha	500/34	00	06	70
	81	00	16	70
	500/33	00	19	86
	94	00	13	17
	93	00	02	60
	96	00	03	43
	97	00	12	21
	99	00	09	18
	98	00	01	17
	104	00	07	99
	103	00	00	01
	105	00	05	56
	106	00	14	14
	107	00	05	21
	108	00	23	48
	25	00	16	32
	156	00	06	86
	157	00	07	29
	158	00	00	13
	160	00	13	21
	161	00	07	32
	167	00	12	78
	179	00	11	96
	177	00	10	12
	176	00	07	69
	175	00	12	25
	173	00	05	62
	262	00	04	62
	261	00	12	27
	284	00	15	72
	285	00	15	78
	342	00	15	41
	345	00	10	87
	344	00	04	93
	364	00	00	03
	365	00	15	06
	366	00	13	73
	409	00	26	11
	425	00	07	59
	426	00	08	57
	427	00	09	87

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-I/E-32563]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.